CNR No- UPMH1200- 2862- 2026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा, जनपद- महराजगंज

प्रकीर्ण वाद संख्या- 210/ 2026

श्रीमती पार्वती देवी बनाम सुनील यादव आदि

दिनाँक- 27- 07- 2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र धारा- 173(4) बी. एन. एस. एस.

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदिका के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र धारा- 173(4) बी. एन. एस. एस. पर सुना जा चुका है।

आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) बी. एन. एस. एस. प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि प्रार्थिनी पार्वती पत्नी सुनील यादव निवासिनी ग्राम- बचगंगपुर, टोला- बेलवाडांड़ी, थाना- बृजमनगंज जनपद- महराजगंज हाल मुकाम पुत्री स्व० ओमप्रकाश ग्राम बादशाहपुर, टोला- हरनाथपुर, थाना- कैम्पियरगंज जनपद- गोरखपुर की शादी हिन्दू रीति रिवाज बिरादरी के अनुसार दिनाँक 09. 05. 2025 को सुनील यादव पुत्र राजमन यादव निवासी ग्राम बचगंगपुर, टोला- बेलवाडांड़ी, थाना- बृजमनगंज जनपद- महराजगंज के साथ सम्पन्न हुआ था। प्रार्थिनी के मायके वालों ने अपने सामर्थ्य के मुताबिक ससुराल वालो की मांग पर 150000/ - रू नगद व सोने का झुमका, मंगलसूत्र एक नथिया व एक पायल व एक पावजेब तथा अन्य घरेलू सामान, जो एक बेटी की बिदाई में माँ बाप द्वारा दिया जाता है, देकर दिनॉक- 10. 05. 2025 को बिदा किये थे। बिदाई के ही दिन से प्रार्थिनी के ससुराल वाले प्रार्थिनी को कम दहेज लाने का ताना मारने लगें, हम प्रार्थिनी जब उनसे कहती कि मेरे पिता जी इस दुनिया में नहीं है, और मेरे मायके वाले काफी गरीब है, उनको जो देना था दे दिये अब वह कुछ नहीं दे सकते हैं। जिस पर मेरे ससुराल वाले हम प्रार्थिनी को बराबर ताना बाना देते रहतें थें तथा प्रताड़ित करते रहतें थे इसी बात को लेकर प्रार्थिनी के पति सुनील यादव पुत्र राजमन व सोनू यादव पुत्र राजमन व पुष्पा पुत्री राजमन व सूर्यमती देवी पत्नी राजमन, राजमन पुत्र अज्ञात, सरोज पत्नी सुबाष, पवन पुत्र मुन्ना व मुन्ना पुत्र अज्ञात व प्रमोद पुत्र मुन्ना निवासीगण ग्राम- गोलसागर, थाना- बृजमनगंज जनपद- महराजगंज आये दिन प्रार्थिनी को प्रताडित करते रहते थें, तथा मेरा समस्त स्त्री धन छीनकर अपने पास रख लिये है। इसी बीच हम प्रार्थिनी गर्भवती हो गई, और गर्भावस्था के दौरान मेरे पति ने अपने भांजे प्रमोद से दवा मंगाकर मुझे खिला दिया जिससे मेरा बच्चा पेट में ही मर गया। इस दरमियान हम प्रार्थिनी को मेरे ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे, जिस पर मेरी माता द्वारा किश्त पर पैसा निकालकर 70000 रू मेरे पति को दिया गया, परन्तु बाद में पुनः मेरे ससुरालियों द्वारा अतिरिक्त दहेज में 100000 / - रू व एक चार पहिया कार की मांग करने लगे और हम प्रार्थिनी को प्रताडित करने लगे। इसी क्रम में दिनॉक- 01. 05. 2026 को समय लगभग 4 बजे शाम को मेरे पति व सास व अन्य ससुराल के लोग देवर, जेठ, व ननद व ननदोई व भांजे दहेज की बात को लेकर हम प्रार्थिनी को गाली गुप्ता देते हुए बुरी तरीके से मारे पीटे, और प्रार्थिनी को मार पीटकर घर से बाहर कर दिये, और धमकी दिये कि जब तक एक लाख रुपया और एक कार नहीं लाओगी तब तक हमारे घर मत आना। प्रार्थिनी किसी तरह से अपने मायके आयी और तबसे अपने मायकें में रह रही है, मेरे पति का नाजायज संबंध उसकी भाभी सरोज से है, जिसके कारण वह मेरा उपहास करता है। प्रार्थिनी के ससुराल वाले प्रार्थिनी अपने ससुराल जब तक रही तब तक हम प्रार्थिनी को बुरी तरीके से मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देते रहे और हम प्रार्थिनी से घर का सारा काम जानवरो की तरह करवाते थे, प्रार्थिनी अपने मायके वालो के मान मर्यादा को देखते हुए सब कुछ सहती रही, मुल्जिमानगण जो दहेज लोभी है, का कृत्य दण्डनीय है। कर्म मुल्जिमानगण दण्डनीय है। घटना की सूचना प्रार्थिनी ने स्थानीय थाना बृजमनगंज में दिया जहां पर स्थानीय थाना की पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात् प्रार्थिनी ने घटना की सूचना पंजीकृत डाक से पुलिस अधीक्षक महराजगज को भी दिया लेकिन वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई प्रार्थिनी कार्यवाही का इंतजार करती रही पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई।

थाने से आख्या आहूत की गई। थाने से प्राप्त आख्यानुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदिका द्वारा कथन के समर्थन में अपने आधार कार्ड की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक, महराजगंज को प्रेषित पत्र की छायाप्रति, डाक रजिस्ट्री रसीद, शादी कार्ड की छायाप्रति, सुलहनामा की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थिनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह कथन किया है कि उसकी शादी हिन्दू रीति रिवाज बिरादरी के अनुसार दिनाँक 09. 05. 2025 को सुनील यादव पुत्र राजमन यादव निवासी ग्राम बचगंगपुर, टोला- बेलवाडांड़ी, थाना- बृजमनगंज जनपद- महराजगंज के साथ सम्पन्न हुआ था तथा उसके मायके वालो ने अपने सामर्थ्य के मुताबिक ससुराल वालो की मांग पर मु. - 150000/ - रू नगद व सोने का झुमका, मंगलसूत्र एक नथिया व एक पायल व एक पावजेब तथा अन्य घरेलू सामान, जो एक बेटी की बिदाई में माँ बाप द्वारा दिया जाता है, देकर दिनांक- 10. 05. 2025 को विदा किये थे। विदाई के ही दिन से प्रार्थिनी के ससुराल वाले प्रार्थिनी को कम दहेज लाने का ताना मारने लगें तथा उसका समस्त स्त्री धन छीनकर अपने पास रख लिये है। प्रार्थिनी का कथन है कि ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने पर उसकी माता द्वारा किश्त पर पैसा निकालकर मु. - 70000 रू उसके पति को दिया गया, परन्तु बाद में पुनः ससुरालियों द्वारा अतिरिक्त दहेज में 100000 / - रू व एक चार पहिया कार की मांग करने लगे और उसको प्रताडित करने लगे। इसी क्रम में दिनांक- 01. 05. 2026 को समय लगभग 4 बजे शाम को उसके पति व सास व अन्य ससुराल के लोग देवर, जेठ, व ननद व ननदोई व भांजे दहेज की बात को लेकर प्रार्थिनी को गाली- गुप्ता देते हुए बुरी तरीके से मारे पीटे और प्रार्थिनी को मार-पीटकर घर से बाहर कर दिये और धमकी दिये कि जब तक एक लाख रुपया और एक कार नहीं लाओगी तब तक हमारे घर मत आना। प्रार्थिनी के ससुराल वाले प्रार्थिनी अपने ससुराल जब तक रही तब तक हम प्रार्थिनी को बुरी तरीके से मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देते रहे है। प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण पर लगाए गए आरोपों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह मत है कि उक्त घटना से संबंधित सभी घटना क्रम की भलीभांति जानकारी प्रार्थी को है एवं साक्ष्यों के माध्यम से अपने साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा मामले की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए **रामबाबू गुप्ता प्रति स्टेट आफ यूपी 2001 (1) ए. सी. सी. - 50 तथा सुखवासी बनाम स्टेट आफ यू. पी. (2007- AHC- 1195- DB)** में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयन विधि के सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

मामला परिवाद के रूप में दर्ज हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 223 के आलोक में परिवादिनी का बयान अन्तर्गत धारा- 223 हेतु पत्रावली दिनांक- 11- 08- 2026 को पेश हो।

(विश्वनाथ प्रताप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा
जनपद- महराजगंज
J. O. Code- UP3359

Digitally signed by VISHWANATH PRATAP SINGH
Date: 2026.07.30 16:53:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court